भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2700

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

तिलम संघ से फंड कटौती

2700. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) से 41.57 करोड़ रुपए की कटौती की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2015-16 से 2016-17 के लेखा परीक्षित विवरणों के आधार पर अंतिम दरों को अनुमोदित कर दिया है और यदि नहीं, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या तिलम संघ को कुछ पैकेज अथवा अग्रिम राशि देकर वंचित किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने की कोई योजना/प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राजस्थान में खाद्यान्न की खरीद राज्य सरकार की एजेंसियों (एसजीए) द्वारा की जाती है। राजस्थान एक गैर-डीसीपी राज्य है और खाद्यान्न अधिग्रहण के बाद, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अनंतिम लागत पत्रक (पीसीएस) के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा एसजीए को धनराशि जारी की जाती है। वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक रबी विपणन मौसम (आरएमएस) के लिए गेहूं के अंतिम लागत पत्रक (एफसीएस) के अनुसार खातों के अंतिम निपटान के दौरान, पहले से जारी निधियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा किए गए दावों से एफसीआई द्वारा 41.57 करोड़ रुपये की राशि समायोजित की गई थी।

(ख): आरएमएस 2015-16 से आरएमएस 2016-17 के लिए खाद्यान्नों की अंतिम दरें जारी करने के संबंध में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के दिनांक 25.11.2024 के पत्र के तहत राज्य सरकार से कुछ निश्चित विसंगतियों को दूर करने के बाद अपने प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

(ग): चूंकि खरीद राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, अतः किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान करने की जिम्मेदारी उनकी है।

*****